

From,

Beche Lal,
Joint Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Registered

Regd. No. - 104

To,

The District Judge,
Agra.

No. ⁵¹ 3534 / IV- 3468 / Admin (A) / Dated 24.3.09

Subject :- Issue of 'No-objection Certificate' in favour of Smt. Rekha Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra for obtaining Passport.

Sir,

With reference to your endt. no. 408 / XV dated 17.02.2009 on the above subject, I am directed to send herewith 'No-objection Certificate', now called as 'Identity Certificate' in duplicate, issued in favour of Smt. Rekha Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra for obtaining Passport, as requested, with the direction that she should take prior permission of the Court before proceeding abroad.

Smt. Rekha Singh may kindly be informed accordingly and the 'Identity Certificate' in duplicate may also kindly be handed over to her.

Encl:- As above

Yours faithfully


21.03.09
Joint Registrar

No. ⁵² 3535 / IV- 3468 / Admin (A) / Dated 24.3.09

Copy forwarded for information and necessary action to Smt. Rekha Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra.


21.03.09
Joint Registrar

J.R.(M)
order placed below.
May issue?
20.3.09
20.3.09

17.2.09

Serial
26-2-09

Encl - 01 तीन फोटो 26.2.09

2923

IV / 3468
50

Request-104

6-1691
24-2-09

1586

प्रेषिका,

श्रीमती रेखा सिंह, 26-2-09 26/2/09
अपर सिविल जज जू. डि. / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं-2, आगरा।

सेवामें,

माननीय संयुक्त निबन्धक,
माननीय उच्च- न्यायालय,
इलाहाबाद उ०प्र०

द्वारा:- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
आगरा।

विषय:- नं० 1341/ IV -3468/ एडमिन एर दिनांकित 30.1.09
अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में चाही गयी जानकारी के
सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके पत्रांक दिनांक 30.1.09 के सम्बन्ध में आपके द्वारा जो
अनापत्ति प्रमाण-पत्र सम्बन्धी पासपोर्ट विभाग के नये प्रारूप पर
जानकारी चाही गयी थी वह निर्देशानुसार प्रेषित की जा रही है तथा
मेरे दो बच्चे अशोक कुमार पुत्र व आकाशा पुत्री मेरे आश्रित हैं।
तीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज संलग्न किये जा रहे हैं।

सूचना माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

सादर।

दिनांक: 17.2.2009

भवदीया,

R Singh

श्रीमती रेखा सिंह,
अपर सिविल जज जू. डि. / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं-2, आगरा।

[Signature]

124 FEB 2009

408/XV 17.2.09

अमसरित।

17/2/09

श्री जिता जय, आगरा

So. Adms. H/A

[Signature]

T (J. R. M)

24-2-09

A.K.S.
27-2-09

Request 104

ANNEXURE 'B'

ALL CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES STATE GOVERNMENT EMPLOYEES, EMPLOYEES OF STATUTORY BODIES AND PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS ARE REQUIRED TO PRODUCE A IDENTITY CERTIFICATE (STRIKE OUT PORTION NOT APPLICABLE) (To be given in Duplicate on Original Stationery)

Certified that SHRI/SHRIMATI/KUM. REKHA SINGH Son/ Wife of Shri DR. VIJAY KUMAR of is a temporary/permanent employee of this (office address) DISTRICT & SESSION COURT, DISTT. AGRA from 15.6.2006 (date) 28.8.2006 in Agra and is present holding the post of ADD. CIVIL JUDGE/J.M. Shri/Smt./M/SS/Mst. ABHISHEK & AKANSHA (Children) - 2 is/are a dependent family member(s) of Shri/Smt. REKHA SINGH and his/her identity is certified. This Ministry/Department/Organization has no objection to his/her acquiring Indian Passport. The undersigned is duly authorized to sign this Identity Certificate. I have read the provisions of Section 6(2) of the Passports Act, 1967 and certify that these are not attracted in case of this applicant. I recommend issue of an Indian Passport to him/her. It is certified that this organization is a central/State Government/Public Sector/undertaking/statutory body. The Identity Card Number of Shri/Smt. (employee) Not issued is

Ref. No. &

Name, Designation, address & Tel No.



Smt. Rekha Singh
Add. Civil Judge (J.D.) / J.M
J-27, Judge's Compound
Distt - Agra
Tel No. - 0562-2523770
Mob. No. - 9412751743

123

From,

~~Boche Lal,~~
I/C Joint Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Reyvent-104

To,

The District Judge,
Agra.

46

No. 1341 / IV- 3468 / Admin (A) / Dated 30-1-09.

Subject: - Issuance of 'No-objection Certificate' in favour of Smt. Rekha Singh,
Additional Civil Judge (Junior Division), Agra for obtaining passport.

Sir,

With reference to your endorsement no. 03 / XV dated 02.01.2009 on the above subject, I am directed to say that Smt. Rekha Singh, Additional Civil Judge (Junior Division), Agra may kindly be asked to furnish three coloured passport size photographs of herself, and a list of her dependents with name(s), relations etc., as a new proforma of 'No-objection Certificate' has recently been introduced by the Passport department, and as such these things are required for issuance of 'No-objection Certificate' on the new / prescribed proforma in her favour, for obtaining passport, so that further necessary action may be taken in the matter.

Yours faithfully

Atk Varmy
29.1.09

I/C Joint Registrar

J.R.(M)

May issue?
Dr. Jainwal
24-1-09

Registrar
24-1-09

Registrar (B)
May like to
approve?

Atk Varmy
DRL(S)
27.1.09

App.
27.1.09
(Reg-B)

Scantial
15-1-09
Encl-0

2/10/09

624
Reg. No. 3468
45
Annual
5-1-09
पेज

प्रेषिका,

श्रीमती रेखा सिंह,
अपर सिविल जज्जु. डि. / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०-२, आगरा।

Receipt-104

सेवामें,

माननीय महा निबन्धक,
माननीय उच्च-न्यायालय,
इलाहाबाद उ०प्र०,

द्वारा:- माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
आगरा।

विषय:- विदेश जाने हेतु पासपोर्ट बनवाये जाने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थिया अपर सिविल जज्जु. डि. / न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सं०-२ आगरा में तैनात है।

प्रार्थिया के भाई की पत्नी किडनी रोग से ग्रसित है और गम्भीर रूप से अस्वस्थ है उसकी चिकित्सा के सम्बन्ध में विदेश जाना पड़ सकता है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि प्रार्थिया को अपने रिश्तेदार की पत्नी के चिकित्सा के सम्बन्ध में विदेश जाने हेतु पासपोर्ट बनवाने के लिए अनापत्ति / अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

सादर।

दिनांक: 02. 1. 2009

भवदीया,

श्रीमती रेखा सिंह,
अपर सिविल जज्जु. डि. / न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०-२, आगरा।

03/XV 2-1-09

अप्रसरित।

जिवा लख, आगरा

A.K.S.
24-1-09

59

JRCM

with encl 1 Page

3 JAN 2009

10

S.O. Adm. H/A

J. R (M)
13-1-09


Request-104

पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा-6(2) के अन्तर्गत घोषणा

आवेदिका श्रीमती रेखा सिंह, अपर सिविल जज, जू. डि. न्यायिक मजिस्ट्रेट पत्नी श्री डा० विजय कुमार सभागीय परिवहन अधिकारी, पूर्वतन आगरा के पद पर तैना है। इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन धारा-5 की उपधारा-2 के खण्ड -ग के अन्तर्गत साक्ष्य निम्नलिखित घोषणा करती है:-

- क यहकि आवेदिका मूलरूप से भारत की नागरिक है।
- ख यहकि आवेदिका भारत के बाहर भार की सम्प्रभुता और अखण्डता के प्रतिकूल क्रिया विधियों में कभी भी सम्मिलित नहीं होगी।
- ग यहकि आवेदिका के भारत से चले जाने पर भारत की सुरक्षा को कोई नुकसान नहीं होगा।
- घ यहकि आवेदिका की भारत से बाहर उपस्थिति से किसी अन्य देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर कभी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- ङ यहकि आवेदिका के आवेदन देने की तारीख से तुरन्त पहले पांच वर्ष की अवधि में किसी भी न्यायालय में आवेदिका के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध दोष नहीं हुआ और न ही कोई अपराध संजीकृत ही हुआ है और न ही कोई कारावास हुआ है।
- च यहकि आवेदिका के विरुद्ध भारत के किसी भी अदालत में अपराध के सम्बन्ध में कोई मामला नहीं चल रहा है।
- छ यहकि किसी भी न्यायालय द्वारा आवेदिका के विरुद्ध कोई वारंट जारी नहीं किया गया है और न ही भारत से बाहर जाने पर रोक लगाई गई है।
- ज यहकि आवेदिका द्वारा आवेदन की तिथि तक कभी भी विदेश यात्रा नहीं की गई है।

दिनांक : 02.1.2009


श्रीमती रेखा सिंह,
अपर सिविल जज, जू. डि. न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय सं०-2, आगरा।